

ont>

**12.26 hrs.**

## **RE: Non-Declaration of Statutory Minimum Price for Sugarcane – Contd.**

**Title: Need to declare statutory minimum price for sugarcane.**

...(व्यवधान)

**श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) :** अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह कुंवर अखिलेश सिंह जी और रवि प्रकाश वर्मा जी ने गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित करने के सिलसिले में सवाल उठाया था। हम आपके आभारी हैं कि आपने सरकार को आदेशित किया कि वह इस मामले में अपना पक्ष रखे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिराई का सत्र शुरू हो गया है और पिछली बार इस सदन में, चूंकि हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया था, उसकी वजह से व्यवधान पैदा हुआ। अब निजी चीनी मिल मालिकों का कहना है कि भारत सरकार जो एसएलपी मूल्य तय करेगी, उसी के हिसाब से भुगतान शुरू करेंगे। यह काफी गंभीर मामला है। गन्ने का किसान परेशान है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश, जितने गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं जैसे बिहार और दूसरे प्रान्त हैं, मूल्य घोषित न होने की वजह से गन्ना किसानों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपने सरकार को कहा। कृषि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि इसका जवाब श्री शरद यादव देंगे। यह सरकार इस सवाल पर गंभीर नहीं है। मेरा आरोप है कि चीनी मिल मालिकों की सरकार के साथ मिलीभगत है। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। श्री शरद यादव यहां उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि सरकार आज ही एसएलपी मूल्य घोषित करने का कट करे।**â€**(व्यवधान)

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) :** अध्यक्ष महोदय, इस विषय से हमारा नाम भी सम्बद्ध कर लें।**â€**(व्यवधान)

**श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) :** अध्यक्ष महोदय, हम भी बोलना चाहते हैं।**â€**(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप नोटिस क्यों नहीं देते। इस विषय पर आपका नोटिस नहीं है। मेरे पास केवल श्री रामजीलाल सुमन और कुंवर अखिलेश सिंह का नोटिस है।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप महाराष्ट्र के हैं तो अलग नोटिस दे दें।

...(व्यवधान)

**कुंवर अखिलेश सिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष उत्तर प्रदेश में तीन किसान गन्ना मूल्य मांगने के सवाल पर पुलिस की गोली का शिकार हुए थे। इस सदन के अंदर जब गतिरोध हुआ और आदरणीय प्रधान मंत्री जी आए, तब 19 दिसम्बर, 2002 को पिछले साल का न्यूनतम सांविधिक मूल्य भारत सरकार ने 69 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। यह मूल्य सितम्बर तक लागू था। सितम्बर के बाद इस साल उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र सभी जगहों पर गन्ने का पिराई सत्र प्रारंभ हो चुका है। अभी तक भारत सरकार ने गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारित नहीं किया जबकि हमारी जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग ने गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 73 रुपये प्रति क्विंटल रखने का सुझाव दिया है। परन्तु भारत सरकार ने अभी तक कृषि लागत मूल्य आयोग के इस सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया जबकि हम भारत सरकार के कृषि लागत मूल्य आयोग के उस सुझाव से सहमत नहीं हैं। आज न्यूनतम सांविधिक मूल्य कम से कम 80 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकारी और सहकारी चीनी मिलों द्वारा जो गन्ना पेरा जा रहा है, उसका मूल्य 95 रुपये और 100 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है। निजी चीनी मिलों पर उत्तर प्रदेश सरकार इसलिए अपना दबाव क्रियान्वित नहीं कर पा रही है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दे दिया कि भारत सरकार का न्यूनतम सांविधिक मूल्य ही निजी चीनी मिल मालिकों द्वारा अदा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य की आदायगी चीनी मिल नहीं करेंगी जिसका फायदा उठाकर चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों का लगातार शोण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट सत्र में गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय कर दिया लेकिन भारत सरकार द्वारा अभी तक न्यूनतम सांविधिक मूल्य की घोषणा न किए जाने के कारण चीनी मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों का बड़े पैमाने पर शोण किया जा रहा है।

इससे किसानों के अंदर आक्रोश और क्षोभ व्याप्त है। अभी कृषि मंत्री जी ने इसी सदन में आपके निर्देश पर वक्तव्य दिया कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने निर्णय लेकर खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय को यह मामला प्रेषित कर दिया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और वे किसान के पक्षधर हैं, समाजवादी आंदोलन की देन हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वह तत्काल न्यूनतम सांविधिक मूल्य 80 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की कृपा करें।**â€**(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** देखिए, चूंकि इस विषय पर मेरे पास दो लोगों के नोटिस हैं और उन दोनों को मैंने इजाजत दे दी है। अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

**â€**(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) :** अध्यक्ष जी, जो समस्या उत्तर प्रदेश की है, उससे बड़ी समस्या बिहार की है। बिहार के मिल मालिकों ने जिस तरह का व्यवहार वहां के किसानों के साथ किया है, **â€**(व्यवधान)

पिछले साल जो मूल्य तय हुआ था, वह किसानों को नहीं मिला है।**â€**(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** हरेक माननीय सदस्य को इस विषय पर बोलने का मौका मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सदन में दूसरे विषय भी हैं।

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।**â€**(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** हर विषय महत्वपूर्ण है।

**â€**(व्यवधान)

**श्री शिवाजी माने (हिंगोली) :** अध्यक्ष जी, समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए। पिछले 15 वर्षों से वहां एक ही रेट चल रहा है।**â€**(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इस विषय के साथ महाराष्ट्र के बारे में भी कहिए क्योंकि महाराष्ट्र के सांसद भी इसी विषय में प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं।

â€ (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णाया) : अध्यक्ष जी, बिहार के बारे में भी कहलवा दीजिए।â€ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय के साथ बिहार के बारे में भी कह दीजिए।

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Mr. Speaker, Sir, what about Tamil Nadu?  
...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Tamil Nadu also will be included in this. Please take your seat.

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, उससे मैं सहमत हूँ कि इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है लेकिन यह सरकार के हाथ की बात नहीं थी। नवम्बर में चुनाव थे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह हिदायत थी कि इसके दामों में किसी तरह की करैक्शन अभी न की जाए और मैं अखिलेश जी की बात से सहमत हूँ लेकिन आप इत्मिनान रखें। यह ठीक है कि इसमें दो-चार-सात दिन का विलम्ब हुआ है।â€ (व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : पिराई का सीजन शुरू हो गया है। नवम्बर में चुनाव थे, दिसम्बर में तो नहीं थे।â€ (व्यवधान)आज 15 दिसम्बर हो गई है।â€ (व्यवधान)

श्री शरद यादव : मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ऐसा नहीं है, आपकी चिंता वाजिब है।â€ (व्यवधान)यह मैं पहले ही कह रहा हूँ लेकिन मेरी बात आप सुन लेंगे तो हम किसी वाजिब बात पर पहुंचेंगे। जो यह समस्या है, निश्चित तौर पर 5-7 दिन का विलम्ब जरूर हुआ है। निश्चित तौर पर नवम्बर के महीने में चुनाव थे लेकिन मैं एक निवेदन कर दूँ कि एक वाँ नहीं, दो वाँ नहीं, पिछली परम्परा रही है कि 1998-99 में जो दाम घोषित हुए थे, वे 16.12.98 को हुए थे यानि 16 तारीख को हुए थे। सन् 1999-2000 में भी 09.12.99 को हुए थे। पिछले साल भी 12.12.2002 को हुए थे। चूंकि पिछली बार सी.सी.ए. की बैठक थी क्योंकि राजनाथ जी कहीं विदेश यात्रा पर थे,â€ (व्यवधान)जो सच्चाई है, वह मैं कह रहा हूँ कि उनके न रहने के कारण इसमें थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है लेकिन दो-चार दिन में, ज्यादा नहीं, कल तक या परसों तक जो अखिलेश जी कह रहे हैं, किसानों के लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे, जो रिकमेंड किया गया है। इस बाबत मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि जो पिराई हो गई है, चाहे प्राइवेट मिल या कोआपरेटिव मिल या सरकारी मिल हों, उनको किसानों को उनका मूल्य चुकता करना पड़ेगा।â€ (व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : विदेश यात्रा के कारण लाखों किसानों कोâ€ (व्यवधान)आज 15 दिसम्बर हो गई है।â€ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सबमें जाने की जरूरत नहीं है।

â€ (व्यवधान)

श्री शरद यादव : पिछली बार भी 12 तारीख को घोषणा की गई थी।â€ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I think the Minister's reply is satisfactory. Please take your seat. अब इसमें बोलने का कोई प्रश्न नहीं है।

â€ (व्यवधान)

-----

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, यह विषय बड़ा महत्व का है।â€ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, मंत्री जी ने कहा है, वह चार-छः दिन में घोषणा कर देंगे।

â€ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि मैथिली भाषा को संविधान के आठवें शिखल में जोड़ा जाएगा, लेकिन यह सत्र खत्म होने को है, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा विषय है। अभी मैंने दूसरा विषय लिया है, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा।